डीजी-परिपत्र संख्या- 46/2019

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः अक्टूबर 01,2019

विषयः- पिता-माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे/शिशु के परित्याग के रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

बच्चे देश की अनमोल धरोहर हैं उनकी अच्छी परवरिश न केवल उनके परिवार बल्कि देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। माता-पिता/संरक्षक द्वारा बच्चे को छोड़ देने के पश्चात बच्चे इधर-उधर भटकते हैं जिन्हें संगठित गिरोहों द्वारा अपराधिक कृत्य के लिए या बाल श्रमिक के रूप में अथवा अंग प्रत्यारोपण के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे समाजिक मर्यादायें टूटतीं हैं।

आप सहमत होंगें कि जहॉ इस प्रकार का कार्य असामाजिक है वहीं दूसरी ओर बच्चे को निराश्रित व लावारिस रूप में उनके माता-पिता एवं संरक्षकों द्वारा छोड़ दिया जाना अपराधिक कृत्य भी है। इसलिए पुलिस को इस प्रकार के बच्चों के सम्बन्ध में अत्याधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

अतएव उपरोक्त कृत्य के रोकथाम हेतु आप सभी को निम्नाकिंत निर्देश अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैंः-

- थाने पर ऐसे बच्चों की शिकायत को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जायेगा और उनके सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। किसी प्रकार का विलम्ब नही किया जायेगा।
- थाने के समस्त कर्मियों को इस ओर संवेदनशील बनायें कि वह इस प्रकार के प्रकरणों में शिष्ट एवं भद्र व्यवहार करें।
- इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर बच्चें के माता-पिता/संरक्षक के विरूद्ध भादवि की धारा 317 एवं आवश्यकतानुसार अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें।
- पीड़ित बच्चें के बयान लेते समय सभी प्रसांगिक पहलुओं को सम्मिलित किया जाये तथा बच्चे के द्वारा दिये गये बयान को अक्षरशः दर्ज किया जायेगा, आवश्यकतानुसार अनुवादक का प्रयोग किया जायेगा।
- पीड़ित बच्चें का बयान यथा सम्भव महिला उपनिरीक्षक द्वारा लिया जाना चाहिए ताकि बच्चा स्वयं को सहज महसूस करें और बयान के समय उपनिरीक्षक द्वारा सादा परिधान धारण किया जाये।
- भा0द0वि0 एवं अन्य अधिनियमों की धारा की बढोत्तरी, आवश्यतानुसार अपराधिता के प्रकट होने पर की जा सकेगी।
- ऐसे बच्चों के संरक्षण/पुर्नवास हेतु सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही विधि के अनुसार की जाये।
- पंजीकृत अभियोग के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी स्वयं अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचना का सम्पादन करायेगें तथा पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रकरण की प्रगति प्रस्तुत करेंगें।
- जॉच अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चें के साथ संवाद एवं प्रकरण में सहयोग हेतु सामर्थ्य व्यक्ति, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, कानूनी विशेषज्ञ, बाल अधिकारी विशेषज्ञ, अनुवादक,

Scanned by CamScanner

परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ विशेषज्ञ, चाइल्ड लाइन अथवा अनुभवी स्वैच्छिक संगठन से सहायत प्राप्त की जा सकती है।

मै अपेक्षा करता हूँ उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर संवेदनशील होकर जनपद में एक कार्यशाला आयोजित करके उपरोतांकित सभी निर्देशों से अधिकारी व कर्मचारियों को अवगत करायेंगें और समय से इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

भवदीय,

1.X.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ/1090 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का अपने स्तर से पर्यवेक्षण किया जायेगा।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner